


फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
 मुखत्यार सिंह व अन्य बनाम बलवंत सिंह व अन्य
 विविध प्रार्थना संख्या 2024/011
 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
06.05.2024	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बत्तरा द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने से पूर्व सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 04 जून, 2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(2)</p>	
4/6/24	<p>आज बार सघ न कार्य नहीं करन का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/7/24 को पेश हो।</p>	
12/7/24	<p>आज पीठासीन अधिकारी श्री. प्रदीप कुमार शर्मा के अग्र पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/8/24 को पेश हो</p>	
12/8/24	<p>आज पीठासीन अधिकारी श्री. प्रदीप कुमार शर्मा के अग्र पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/9/24 को पेश हो</p>	
25/9/24	<p>आज पीठासीन अधिकारी श्री. प्रदीप कुमार शर्मा के अग्र पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/11/24 को पेश हो</p>	

5-11-24 आज बार सघ न कार्य नहीं करना
का निर्णय लिया है। पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 19-12-24
को पेश हो।

19.12.24 अधिवेशन 30 पत्रावली
वास्तविक रूप में दिनांक 16.01.25
को पेश हो।

16.01.25 अधिवेशन 30 पत्रावली
पत्रावली खारिज हो चुकी है अतः
वि. क्र. 212/2011 का कोई अंश
नहीं रह जाता है अतः वि. क्र. 212/2011
क्र. 2024/011, अधिवेशन मुख्यतः वि. क्र. 212/2011
बनाम बलपत्र वि. क्र. 212/2011 पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली 16.01.25
हो पत्रावली प्रमाण पत्रिका के हिसाब से
आकर निर्णय हो चुकी है अतः 16.01.25

अतः वि. क्र. 212/2011 का कोई अंश
नहीं रह जाता है अतः वि. क्र. 212/2011
क्र. 2024/011, अधिवेशन मुख्यतः वि. क्र. 212/2011
बनाम बलपत्र वि. क्र. 212/2011 पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली 16.01.25
हो पत्रावली प्रमाण पत्रिका के हिसाब से
आकर निर्णय हो चुकी है अतः 16.01.25

अतः वि. क्र. 212/2011 का कोई अंश
नहीं रह जाता है अतः वि. क्र. 212/2011
क्र. 2024/011, अधिवेशन मुख्यतः वि. क्र. 212/2011
बनाम बलपत्र वि. क्र. 212/2011 पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली 16.01.25
हो पत्रावली प्रमाण पत्रिका के हिसाब से
आकर निर्णय हो चुकी है अतः 16.01.25